

4

स०सं०-3/एल-01-42/2022

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,६

डा० कुसुम शर्मा,
वरीय महिला चिकित्सा पदाधिकारी,
पी०एस०एम० विभाग,
पटना मेडिकल कॉलेज, पटना ।

पटना, दिनांक .

विषय: दिनांक 05.06.2026 से 16.06.2026 तक यूरोप भ्रमण एवं दिनांक-17.06.2026 से 17.07.2026 तक पारिवारिक सदस्यों से मिलने हेतु विदेश (अमेरिका) जाने की अनुमति प्रदान करने के सबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना के पत्रांक 817 दिनांक 11.02.2026 के प्रसंग में नियमानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ दिनांक 05.06.2026 से 16.06.2026 तक यूरोप भ्रमण एवं दिनांक-17.06.2026 से 17.07.2026 तक पारिवारिक सदस्यों से मिलने हेतु विदेश (अमेरिका) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है -

- (ii) अवकाश अवधि का विस्तार अनुमान्य नहीं होगा ।
 - (ii) प्रवास के दौरान धनोपार्जन हेतु अपने पेशे का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा ।
 - (iii) यह यात्रा बिल्कुल निजी होगी तथा किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
 - (iv) सभी तरह का व्यय स्वयं वहन करना होगा ।
 - (v) प्रवास के दौरान किसी भी तरह का लेख का भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा ।
 - (vi) डा० कुसुम शर्मा यात्रा पर प्रस्थान करने के पूर्व डा० विद्या रानी सिंह, महिला चिकित्सा पदाधिकारी, पी०एस०एम० विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना को प्रभार सौंपा जायेगा एवं यात्रा से लौटकर उनसे प्रभार वापस ग्रहण किया जाएगा ।
 - (vii) डा० कुसुम शर्मा मुख्यालय छोड़ने के पूर्व अपने नियंत्रि पदाधिकारी/विभाग को यूरोप एवं (अमेरिका) प्रवास के दौरान सम्पर्क का पता एवं सम्पर्क नम्बर उपलब्ध करायेगे ।
 - (viii) एतद्संबंधी अवकाश संचित उपार्जित अवकाश से सामाजित होगा ।
 - (ix) विदेश यात्रा से लौटने के बाद अपने पार-पत्र की छाया प्रति विभाग को उपलब्ध करायेगे ।
02. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(रेणु कुमारी)


ज्ञापांक : 223(3) /स्वा०, पटना, दिनांक : 9/3/26
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरवन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना/ विद्या रानी सिंह, महिला चिकित्सा पदाधिकारी, पी०एस०एम० विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,17 एवं 18'ए' स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।



विशेष कार्य पदाधिकारी